

**दिनांक 19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों में छूट**

**4288. श्री वी.के. श्रीकंदन:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना को बहाल करने का निर्णय लिया है;
- (ख) क्या इस बहाली से अग्रिम प्राधिकरण धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयों को लाभ होगा;
- (ग) क्या इस योजना की बहाली से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है;
- (घ) क्या भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ यह मांग कर रहा है कि इसके विरोध संचालन के लिए आरओडीटीईपी का लाभ 1 जून, 2025 के बजाय 7 फरवरी, 2025 से उपलब्ध कराया जाना चाहिए; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार का क्या विचार है ?

**उत्तर**

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (ङ.) निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट (आरओडीटीईपी) स्कीम 01.01.2021 से लागू है, जिसका उद्देश्य निर्यातित उत्पाद पर लगाए गए उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों की वापसी करना है जिन पर अन्यथा छूट/वापसी नहीं की जा रही है। यह स्कीम प्रारंभ में घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र इकाइयों पर लागू थी। तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 70/2023 दिनांक 08.03.2024 के द्वारा इसका दायरा अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों के लिए दिनांक 05.02.2025 तक बढ़ा दिया गया था। भारतीय निर्यात संगठन महासंघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें एसईजेड, ईओयू और अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों के लिए आरओडीटीईपी स्कीम का विस्तार करने की मांग की गई है, क्योंकि यह स्कीम 05.02.2025 को समाप्त हो गई थी। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या 11/2025-26 दिनांक 26.05.2025 द्वारा 01.06.2025 से अग्रिम प्राधिकारी (एए) धारकों, निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों के लिए कवरेज जारी रखा गया है।

यह स्कीम वर्तमान में डीटीए इकाइयों, अग्रिम प्राधिकार-पत्र धारकों, ईओयू और एसईजेड इकाइयों के लिए चालू है और यह सभी क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए समान अवसर प्रदान करती है तथा वैश्विक बाजारों में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देती है।

\*\*\*\*\*